

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा पेन्डरीडीह की बैठक दिनांक 14/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: पेन्डरीडीह

स्थान: ग्राम पंचायत पेन्डरीडीह दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम पेन्डरीडीह के सरपंच श्री/श्रीमती तुलसी व्यथेल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 60 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम पेन्डरीडीह में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निवेदन है। वन भूमि एवं 2.178 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 2.178 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निवेदन है। वन भूमि / 2.178 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.178 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

Sukhan
सरपंच
पेन्डरीडीह

बलिता
मंजुषा, गेहनाल

अक्षय

हस्ताक्षर
नाम तुलसी व्यथेल
सरपंच पेन्डरीडीह
सील

ग्राम पंचायत, वन विभाग
बिलासपुर (छ.ग.)

अक्षय
ग्राम पंचायत
ज.प.वि-ह, ज.वि. 3 (प.ग.)

कार्यालय ग्राम पंचायत जे.पी.सी.ड. जनपद पंचायत वि.स.स.स. जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

..... बौध्द बैठक

बैठक दिनांक 14/04/2018

क्र.	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	बैठक के कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	उप सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	श्री तुलसी वर्मा (स.ग.)	प्रस्ताव क्र. 5	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
2	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
3	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
4	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
5	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
6	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
7	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
8	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
9	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
10	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही
11	श्री श्रीलाला गुडनारायण (उप-सदस्य)	पेय-पानी के स.ग. 111.	ग्राम के आंदोलन के दिनांक 14.04.2018	प्रस्ताव क्र. 5	सही

ग्राम पंचायत जे.पी.सी.ड. बिलासपुर (छ.ग.)

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा बोड़सरा की बैठक दिनांक 24/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: बोड़सरा

स्थान: भारत निर्माण राजपथ
बोड़सरा दिनांक 24/04/2018

आज दिनांक 24/04/2018 को ग्राम बोड़सरा के सरपंच श्री/श्रीमती सन्तोष कुमार साहू की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम बोड़सरा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निश्चय हे. वन भूमि एवं 2.9779 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 2.9779 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निश्चय हे. वन भूमि / 2.9779 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.9779 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


सरपंच
ग्राम बोड़सरा

हस्ताक्षर 
नाम सन्तोष कुमार साहू
सरपंच
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

सुरेश कौशिक
अमेडा, दि 24/04/18



रजिस्टर-बोइसरा पंचायत के बैठकों की कार्यवाही, स्थान : राजीव सेवा केन्द्र, बोइसरा

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



क्र.	उपस्थित सरपंच/ एवं पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	श्री सन्तोष कुमार साहू, सरपंच	प्रस्ताव क्र. 02	आज दिनांक 24/04/2018 को श्री सन्तोष कुमार साहू सरपंच ग्राम पंचायत बोइसरा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत बोइसरा की बैठक बुलाई गयी, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की गयी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ	उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर कार्यवाही पंजी में अंगी है।
2	पंचाण -				
3	श्री रमेश बिरको, वार्ड-1	राजभाषा			
4	श्रीमती विमला मानिकपुरी, वार्ड-2	राजभाषा			
5	श्रीमती सुशीला कौशिक, वार्ड-3	राजभाषा			
6	श्रीमती धनबाई कैवर्त, वार्ड-4	राजभाषा			
7	श्रीमती जानकी बाई मानिकपुरी, वार्ड-5	राजभाषा			
8	श्रीमती पुनियाबाई मरकाम, वार्ड-6	राजभाषा			
9	श्रीमती ठनियाबाई मराठी, वार्ड-7	राजभाषा			
10	श्री लक्ष्मण नेताम, वार्ड-8	राजभाषा			
11	श्री चंद्रकुमार यादव, वार्ड-9	राजभाषा			
12	श्री शिवकलेश कौशिक, वार्ड-10	राजभाषा			
13	श्रीमती शैलबाई कौशिक, वार्ड-11	राजभाषा			
14	श्री सुरेश कौशिक, वार्ड-12	राजभाषा			
15	श्री पुष्पेन्द्र कौशिक, वार्ड-13	राजभाषा			
16	श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, वार्ड-14	राजभाषा			
17	श्रीमती कमलेश कौशिक, वार्ड-15	राजभाषा			
18	श्री चंद्रिका श्रीवास्त, वार्ड-16	राजभाषा			
19	श्रीमती सतरूपा श्रीवास्त, वार्ड-17	राजभाषा			
20	श्री कन्हैयालाल शर्मा, वार्ड-18	राजभाषा			

सहायक
ग्राम पंचायत बोइसरा



रजिस्टर-बोइसरा पंचायत के बैठकों की कार्यवाही, स्थान : राजीव सेवा केन्द्र, बोइसरा

जनपद पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.	उपस्थित सरपंच/ एवं पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	उपस्थित के हस्ता
1	2	3	4	5	6
1	श्री सन्तोष कुमार साहू, सरपंच	प्रस्ताव क्र. 03	आज दिनांक 24/04/2018 को श्री सन्तोष कुमार साहू, सरपंच ग्राम पंचायत बोइसरा की अध्यक्षता में ग्राम पुत्रावल बोइसरा की बैठक बुलाई गयी, जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही की गयी।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ	उपस्थित के हस्ता कार्यवा पंजी में अ है।
2	पंचायत - श्री रमेश बिरको, वार्ड-1	डाक्टर बिष्ट डाक्टर भांडाई स्पेडव्या 111 (नंदा 130)	डाक्टर बिष्ट डाक्टर भांडाई स्पेडव्या 111 (नंदा 130) को देखने		
3	श्रीमती विमला मानिकपुरी, वार्ड-2	हेल्थ चेकिंग	हेल्थ चेकिंग कार्य के अंतर्गत ग्राम		
4	श्रीमती सुशीला कौशिक, वार्ड-3	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
5	श्रीमती धनबाई कैवर्त, वार्ड-4	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
6	श्रीमती जानकी बाई मानिकपुरी, वार्ड-5	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
7	श्रीमती पुनियाबाई मरकाम, वार्ड-6	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
8	श्रीमती ठगियाबाई मरावी, वार्ड-7	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
9	श्री लक्ष्मण नेताम, वार्ड-8	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
10	श्री चंद्रकुमार यादव, वार्ड-9	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
11	श्री शिवकुमार कौशिक, वार्ड-10	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
12	श्रीमती शैलबाई कौशिक, वार्ड-11	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
13	श्री सुरेश कौशिक, वार्ड-12	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
14	श्री पुष्पेन्द्र कौशिक, वार्ड-13	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
15	श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव, वार्ड-14	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
16	श्रीमती कमलेश कौशिक, वार्ड-15	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
17	श्री चंद्रिका श्रीवास्त, वार्ड-16	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
18	श्रीमती सतरुपा श्रीवास्त, वार्ड-17	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		
19	श्री कन्हैयालाल शर्मा, वार्ड-18	पंचायत	पंचायत में निम्नलिखित स्थानों में		

रजिस्टर
बोइसरा

प्रमाणित
रजिस्टर

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा अमसेना की बैठक दिनांक 24/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: अमसेना

स्थान: पंचायत भवन

दिनांक 24/04/2018

आज दिनांक 24/04/2018 को ग्राम अमसेना के सरपंच श्री/श्रीमती अमरीता कोशिक की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 15 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम अमसेना में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 0.3338 हे. वन भूमि एवं 0.3338 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.3338 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
-	-	-	-

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 0.3338 हे. वन भूमि / 0.3338 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.3338 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

[Signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत - अमरीता
जनपद पंचायत - लखतपुर

[Signature]
हस्तपत्र
ग्राम पंचायत - अमरीता
जनपद पंचायत - लखतपुर
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

- ① चमिका (पंच)
- ② हिम कुमारी कोशिक
- ③ सुनी
- ④ बिलासपुर कोशिक
- ⑤ केवत नई 354242
- ⑥ राजका

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा बेलमुण्डी की बैठक दिनांक 14/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: बेलमुण्डी

स्थान: पंचायत गृह

दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम बेलमुण्डी के सरपंच श्री/श्रीमती राजकुमारी देवी ने की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम बेलमुण्डी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु Null हे. वन भूमि एवं 1.3354 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.3354 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	1	1	1

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि Null हे. वन भूमि / 1.3354 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.3354 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

लेखक राजकुमारी देवी

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

सुरित कुमार

इन्द्रावती देवी

हरप्रसाद

राजकुमारी देवी सरपंच ग्राम पंचायत बेलमुण्डी, छ.तखतपुर, जि.बिलासपुर (छ.ग.) सील

नगर पंचायत सकरी की बैठक दिनांक 23/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम:- नगर पंचायत सकरी
स्थान:- सकरी नगर पंचायत समाकक्ष

दिनांक 23/04/2018

आज दिनांक 23/04/2018 को नगर पंचायत सकरी के अध्यक्ष श्रीमति चंपा दरस पनिक की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में सामान्य सभा के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

- 1- नगर पंचायत सकरी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ. ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंक हे. वन भूमि एवं 2.0118 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 2.0118 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
- 2- प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयो बाबत सामान्य सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
- 3- इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे. में)
1	सकरी	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से सामान्य सभा में निर्णय लिया गया कि निरंक हे. वन भूमि/2.0118 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 2.0118 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

उपस्थित पार्षदों/एलडरमेन के हस्ताक्षर

अध्यक्ष
नगर पंचायत सकरी

1- वार्ड क्र. 01

2- वार्ड क्र. 02

3- वार्ड क्र. 03

श्रीमति चंपा दरस पनिक
अध्यक्ष नगर पंचायत सकरी

4- वार्ड क. 04

5- वार्ड क. 05

6- वार्ड क. 06

7- वार्ड क. 07

8- वार्ड क. 08

9- वार्ड क. 09

10- वार्ड क. 10

11- वार्ड क. 11

12- वार्ड क. 12

13- वार्ड क. 13

14- वार्ड क. 14

15- वार्ड क. 15

1- एल्डरमेन

2- एल्डरमेन

3- एल्डरमेन

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका - सचिव

कार्यालय नगर पंचायत सकरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	बैठक के कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्ताक्षर
1	श्रीमति चंपा देवस पनिक (अध्यक्ष)	नगर पंचायत	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण पर चर्चा की गई।	सर्व सम्मति से पारित।	 
2	श्री मुकेश तिवारी (उपाध्यक्ष)	सकरी	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत नगर पंचायत सकरी सीमांतगत आ रहे राजस्व वन भूमि ख नं.		
3	1- श्रीमती गौरी सुरेश यादव (पार्षद)	सीमांतगत	एनएच-111		
4	2- श्री अवतार मानिकपुरी (पार्षद)	प्रस्तावित	(नया)		
5	3- श्री संजय भार्गव (पार्षद)	एनएच-130	31/1एम2, 33एम1,		
6	4- श्री संजय यादव (पार्षद)	एनएच-130)	49एम1, 318/1 कुल		
7	5- श्रीमती सजना प्रदीप पनिक (पार्षद)	फोरलन हेतु	खसरा 04 कुल रकबा 2.		
8	6- श्रीमती पूनम राकेश दुबे (पार्षद)	प्रस्तावित राजस्व	0118 हेक्टेयर भूमि		
9	7- श्री शत्रुहन मेहर (पार्षद)	वनभूमि	प्रस्तावित है।		
10	8- श्री मनोज सोनकर (पार्षद)	व्यपवर्तन के	उक्त भूमि की राष्ट्रीय		
11	9- श्री रामकिशोर साहू (पार्षद)	संबंध में विचार	राजमार्ग विभाग को		
12	10- श्री आनंद सिंह सिदार (पार्षद)		व्यपवर्तन किए जाने पर		
13	11- श्रीमती छात्री राजेश गुप्ता (पार्षद)		नगर पंचायत सकरी को		
14	12- श्री संतोष सूर्यवंशी (पार्षद)		आपत्ति नहीं है।		
15	14- श्री विनोद भार्गव (पार्षद)				
16	15- श्रीमती पूर्णिमा लालजी यादव (पार्षद)				
17	15- श्री प्रभात साहू (एल्डरमेन)				
18	16- श्रीमति दुर्गा नंदनी शर्मा (एल्डरमेन)				
19	17- श्री भागवत यादव (एल्डरमेन)				

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत - सकरी

अध्यक्ष
नगर पंचायत सकरी

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा पांड की बैठक दिनांक 14/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: पांड

स्थान: सुखी चखतपुर

दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम पांड के सरपंच श्री/श्रीमती सुखी चखतपुर की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 25 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम पांड में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 0.6304 हे. वन भूमि एवं 0.6304 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.6304 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	<u>पांड</u>	<u>सुखी चखतपुर</u>	

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 0.6304 हे. वन भूमि / 0.6304 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.6304 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

सुखी चखतपुर
ग्राम सभा के अध्यक्ष पांड
सुखी चखतपुर
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

कार्यालय ग्राम पंचायत पांडे, जनपद तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0)

(ग्रामसभा बैठक की कार्यवाही नकल) स्थान-ग्राम पंथायत भवन पांड. दिनांक 14/04/2018

[illegible]

ग्राम सभा लोखण्डी की बैठक दिनांक 14/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम: लोखण्डी
स्थान: पंचायत भवन

दिनांक 14/04/2018

आज दिनांक 14/04/2018 को ग्राम लोखण्डी के सरपंच श्री/श्रीमती विश्वनाथ पटेल की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 80 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम लोखण्डी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंक हे. वन भूमि एवं 0.0983 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.0983 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा पितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निरंक हे. वन भूमि / 0.0983 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.0983 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

राजिव
ग्राम पंचायत लोखण्डी
जनपद पंचायत तखतपुर

हस्ताक्षर
ग्राम पंचायत लोखण्डी
जनपद पंचायत तखतपुर
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

वेदिलाल

कार्यालय ,नगर पालिका परिषद रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0)

फोन नं 07753 - 255832 ई-मेल corporatanpur@gmail.com

क्र./ 117 / रा.शा./न.पा.प./2018
प्रति,

रतनपुर दिनांक 5.5.18

समक्ष प्राधिकारी भू-अर्जन एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) हेतु
पेण्डीडीह-पथरापाली तक जिला-बिलासपुर में प्रभावित राजस्व भूमि के
संबंध में।
संदर्भ :- आपका ज्ञापन पत्र क्रमांक/281/अ.वि.अ./भू.अ./2018 बिलासपुर
दिनांक 12.04.2018।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.
प्रा. बिलासपुर द्वारा तहसील-कोटा अंतर्गत ग्राम रतनपुर के अंतर्गत बिलासपुर-कटघोरा
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) हेतु पेण्डीडीह-पथरापाली तक जिला-बिलासपुर में
प्रभावित राजस्व वनभूमि नगर पालिका रतनपुर के क्षेत्र में है।

अतः नियमानुसार उक्त बिलासपुर-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया
130) का निर्माण कराये जाने पर नगर पालिका रतनपुर को आपत्ति नहीं है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद रतनपुर
रतनपुर दिनांक 5.5.18

क्र./ 118 / रा.शा./न.पा.प./2018
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्रा. बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद रतनपुर

ग्राम सभा मेलनाडीह की बैठक दिनांक 17/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम: मेलनाडीह
स्थान: पंचायत भवन

दिनांक 17/04/2018

आज दिनांक 17/04/2018 को ग्राम मेलनाडीह के सरपंच श्री/श्रीमती कु. 21128 की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 60 सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम मेलनाडीह में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंक हे. वन भूमि एवं 1:5128 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1:5128 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निरंक हे. वन भूमि / 1:5128 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1:5128 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जाये।

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

श्रीमती वसुधा मेडवर्

मीना

नंदकुमार मखार

कुडीबाई

अमृत लाल

हस्ताक्षर

नाम.....

सरपंच.....

सील

कु. 21128

द. ६ मेलनाडीह (खुटागट)

बाटा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सचिव

ग्राम पंचायत मेलनाडीह
जनपद पंचायत कोटा

प्रस्ताव लेखक

दिनांक - 17-04-20

क्र.	उपस्थित सदस्यों का नाम	विषय	बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव जो पास हुए	हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	कु. शास्त्राचार्यजी (सदस्य)	प्र.क्रं. - 18 श्रीमान राजेश्वरी जी 111 (नया-130) है। पेन्डिंगीटि - पञ्चरात्रालो कि० मि० - 0.000 से - कि० मि० - 53.700 तक डिग्री - विद्यापीठ में प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के अर्जन के साधन में वन अधिकार पट्टा नदी दिखा गया है के संबंध में।	आसन के निर्देशानुसार आज दिनांक- 17-04-18 को ज्ञान सेवा का आयोजन ग्राम पंचमैलनाडीह में रखा गया जिसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम कु. शास्त्राचार्यजी द्वारा किया गया। निम्नी उपस्थित सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शास्त्रीय राजभागी सौ० 111 (नया-130) पेन्डिंगीटि से पञ्चरात्रालो के कि० मि० - 0.000 से कि० मि० 53.700 तक प्रस्तावित प्लॉट लेन सहक के निर्माण हेतु ज्ञान-मैलनाडीह पंचमैलनाडीह में आदिग्रहित राजस्व वन भूमि खसरा नों - 163 रकबा - 0.122 हे०, ख० नों - 162 रकबा - 0.8914 हे०, खसरा नों - 160/1 रकबा - 0.097 हे०, ख० नों - 154, 155 रकबा - 0.3988 तथा ख० नों - 63 रकबा - 0.0176 कुल रकबा - 1.5128 हे० राजस्व भूमि अधिग्रहित की जानी है। उपर्युक्त राजस्व वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तियों एवं सामुदायिक रूप में किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया गया है। और ना ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति है।	सर्व सहभागी स्वीकार्य पारित	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवाही पूर्ण होने पर बैठक समाप्त होगी
2.	श्रीमान बबीता गोइ (उपसदस्य)				
3.	श्रीमान लखन बाई मटावी (सदस्य)				
4.	श्रीमान हरिदास मटावी (सदस्य)				
5.	श्रीमान सतोषी बाई गोइ (सदस्य)				
6.	श्री राजकुमार गोइ (सदस्य)				
7.	श्रीमान मीना कोत (सदस्य)				
8.	श्रीमान छोटकी बाई (सदस्य)				
9.	श्रीमान गायत्री प्रधान (सदस्य)				
10.	श्रीमान लखमणी यादव (सदस्य)				
11.	श्री मनोहर उगत (सदस्य)				
12.	श्रीमती शिवेणी खुसरू (सदस्य)				

ग्राम सभा करा की बैठक दिनांक 16/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम: करा
स्थान: करा

दिनांक 16/04/2018

आज दिनांक 16/04/2018 को ग्राम करा के सरपंच श्री/श्रीमती शत्रुघ्न निषाड की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 63 सदस्य 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम करा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु NIL हे. वन भूमि एवं 44.703.9 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 44.703.9 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
			<u>NIL</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि NIL हे. वन भूमि / 44.703.9 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 44.703.9 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर: Shatrughan Nishad
नाम: शत्रुघ्न निषाड
सं: सं. प्रमुख कर
सी.पं.कोटा (छ.ग.)

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

Shatrughan Nishad

ग्राम सभा की बैठक का
निर्वाह-बिलासपुर (छ.ग.)

ग्राम सभा जाली की बैठक दिनांक 17/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम: जाली
स्थान: जाली

दिनांक 17/04/2018

आज दिनांक 17/04/2018 को ग्राम जाली के सरपंच श्री/श्रीमती उषा कश्यप की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के 52 सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम जाली में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु Nil हे. वन भूमि एवं 1.0014 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.0014 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	<u>जाली</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि Nil हे. वन भूमि / 1.0014 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.0014 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर उषा कश्यप
नाम श्रीमती उषा कश्यप
सरपंच जाली
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

सचिव
ग्राम पंचायत जाली
जनपद पंचायत कोटा

सचिव
सरपंच
ग्राम पंचायत जाली
जनपद पंचायत कोटा
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

सिन्हापनदास
गजाली
मेगेदाम
हेडलाय

.....आम्र-सम..... वैठक

दौठक दिनांक 17/8

सरपंच
ग्राम पंचायत जाली
जनपद पंचायत कोट।

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा बेलतरा की बैठक दिनांक 30/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: बेलतरा

स्थान: ग्राम पंचायत भवन

दिनांक 30/04/2018

आज दिनांक 30/04/2018 को ग्राम बेलतरा के सरपंच श्री / श्रीमती महेश्वर मरहाम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 56 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम बेलतरा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंकु हे. वन भूमि एवं 0.4005 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.4005 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)
—	—	—	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निरंकु हे. वन भूमि / 0.4005 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.4005 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत बेलतरा
ज.पं.बिन्दा, जि.-बिलासपुर (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत बेलतरा
ज.पं.बिन्दा, जि.-बिलासपुर (छ.ग.)
सील

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

बैठक कार्यवाही की जानकारी 2018 ग्राम सभा दिनांक 30/4/18 ग्राम पंचायत बेलतरा स्थान ग्राम पंचायत बेलतरा वि.ख. बिल्हा, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

उपस्थित सरपंच पंचों के नाम	विषय	बैठक कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के हस्ताक्षर या अंगुठों का निशान
सरपंच श्री महेश्वर सिंह मरकाम उपसरपंच श्री रोहित कुमार कौशिक पंचायण :- 1. श्रीमती निर्मला देवी मराठी 2. श्रीमती अनिता देवी गोंड 3. श्री कृष्ण कुमार यादव 4. श्री रामनारायण गोंड 5. श्री चंदलाल मराठी 6. श्रीमती प्रमिला देवी गोंड 7. श्रीमती संतोषी देवी गोंड 8. श्रीमती सरोज देवी केसर 9. श्री विककी जायसवाल 10. श्रीमती कुंवारा देवी धीवर 11. श्री धर्मेन्द्र कुमार सूर्यवंशी 12. श्रीमती नंदनी देवी कश्यप 13. श्रीमती मनीषा देवी साहू 14. श्री सुरेश कुमार कश्यप 15. श्रीमती रानी देवी जायसवाल 16. श्री सुखेलाल धीवर 17. श्रीमती उर्मिला देवी यादव 18. श्रीमती लखमणी देवी सूर्य 19. श्री जितेन्द्र कुमार सूर्यवंशी	क्र० 2 बिलासपुर छत्तपोरा राजमार्ग में प्रभावित राजस्व वन भूमि के संबंध में	क्र० 02 ग्राम दिनांक 30/4/2018 को ग्राम पंचायत बेलतरा में ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्व समाप्ति से निर्णय लिया गया कि बिलासपुर छत्तपोरा राजमार्ग कोरलेन रोड चौड़ीकरण के अंतर्गत ग्राम बेलतरा प.ह.नं. 06 राज.मं.बेलतरा तह. बिलासपुर डे. शक.नं. 589/1, 911/1, 911/2 दहोटे झाड़ु अंगल एवं बड़े झाड़ु अंगल, उपरीकृत भूमि में किसी भी व्यक्ति को वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया है। राजस्व राजमार्ग दह. छत्त. भी उठाने से भी आपत्ति नहीं है।	सर्व समाप्ति से उद्देश्य प्राप्त हुआ।	सही

ग्राम पंचायत बेलतरा

11/04/2018
सचिव
ग्राम पंचायत बेलतरा
ज.प. बिल्हा, जि. - बिलासपुर (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत बेलतरा
वि.ख. बिल्हा, जि. - बिलासपुर

प्रदर्श-“ब”

ग्राम सभा लिम्हा की बैठक दिनांक 18/04/2018 का कार्यवाही विवरण

ग्राम: लिम्हा

स्थान:

गाव. सदन

दिनांक 18/04/2018

आज दिनांक 18/04/2018 को ग्राम लिम्हा के सरपंच श्री/श्रीमती म.रा.व.त. की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 25 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम लिम्हा में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.51 हे. वन भूमि एवं 1.51 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.51 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 1.51 हे. वन भूमि / 1.51 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 1.51 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

समस्त सदस्यों का सहमति -
ग्राम सरपंच
ग्राम पंचायत-लिम्हा
जि.छ.-बिलासपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर
नाम म.रा.व.त.
सरपंच
ग्राम पंचायत लिम्हा
जि.छ.बिलासपुर (छ.ग.)

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

प्रमाणित व्यक्तियों का सूची संलग्न है। -

डॉ. राजेश
18/04/2018
लिम्हा

श्रीम लिंगा में श.श. मार्ग ११ (नया १३०) के लिए

	20/10/21	20/10/21	20/10/21	20/10/21
--	---------------------	----------	----------	----------

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	राजस्व शसिनुद्धार आयोग के अंतर्गत	ख. नं.	टिप्पणियाँ
1.	राजकुंवर	फिरंगी यादव	30X50	293/2	
2.	खेमनाथ	राम	30X50	-	
3.	निलर सिंह	शिवप्रसाद	30X30	-	
4.	धनसिंह	रतिराम	30X50	-	
5.	सुरज सिंह	महेतर सिंह	30X50	-	
6.	श्वणा कुमार	आनंद राम	30X30	-	
7.	गणेश राम	चंदन सिंह	30X30	-	
8.	लागन सिंह	आनंद सिंह	30X30	-	
9.	कचरा बाई	स्व. धान सिंह	30X50	-	
10.	विमल कुमार	देवराज	30X50	-	
11.	दुलराज सिंह	रूप सिंह	30X50	-	
12.	सम्मिल कुलसिंह	मयाराम	30X50	-	
13.	रुपेन्द्र सिंह	आशाराम	30X30	-	
14.	लखन लाल	श्याम लाल	30X50	-	
15.	बेहराम	धरम सिंह	30X30	-	
16.	जानकी प्रसाद	देवराज	30X30	-	
17.	गणेश राम	बोधन सिंह	30X50	-	
18.	कुमार सिंह	श्याम लाल	30X30	-	
19.	कौशल्या	फिरंगी	30X50	-	
20.	शिव प्रसाद	गोकुल सिंह	30X30	-	
21.	हरी लाल	जीवन	30X50	-	
22.	हेतराम	चैत सिंह	30X30	-	

ग्राम पंचायत लिम्बा

खिलना जि. बिलासपुर

1

बैठक कार्यवाही की जानकारी 2018

ग्राम पंचायत लिम्हा स्थान ग्राम पंचायत लिम्हा वि.खं. बिल्हा, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

क्र.	(2) उपस्थित सरपंच पंचों के नाम	(3) विषय	(4) बैठक कार्यवाही का विवरण	(5) प्रस्ताव जो पास हुए	(6) पंचों के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान
	श्री भगवत प्रसाद साधू सरपंच श्री रामखिलायन सोरठे उपसरपंच पंढराण :- 1. श्रीमती मालती सोरठे 2. श्री फुल सिंह ओरकेरा 3. श्रीमती भगवती देकाम 4. श्रीमती संतोषी ओरकेरा 5. श्री चन्द्रभान सिंह देकाम 6. श्रीमती राधा बाई देकाम 7. श्रीमती ज्योति मराठी 8. श्री ज्योति देवान 9. श्रीमती पूजकुंवर सोरठे 10. श्रीमती परखा फुसरो 11. श्री बहोरन दास मानिकपुरी 12. श्री दशरथ परधान 13. श्री चंदर सिंह सोरठे 14. श्रीमती कवरा देवी मराठी 15. श्रीमती अमरीका सोरठे 16. श्री किरति कुमार सोरठे 17. श्रीमती सरस्वती देकाम 18. श्री पवन सिंह उडके 19. श्रीमती चंद्रिका परधान	पृ.क. 2 बिलासपुर कटकोरा गांधी बालभार्गि साधू 111 (नमो 130) सरलेन साधू जिमलि देव श्रीमती राजेश पल गांधी के श्रीमती राजेश पल देव	ग्राम जिला 18.4.2018 को अनपंच श्री भागवत प्रसाद साधू के ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बिलासपुर-कटकोरा गांधी बालभार्गि साधू - 111 (नमो 130) के पुत्र श्री से प्रकाशवती लक्ष्मी चार लेन साधू के निर्माण हेतु आवश्यक प.ह. नं. 02 से आवासीय भवन 90 अंश 00' 00" 293/2 बरकला 1.51 हेक्टर. में आवासीय भवन 15' 00" 22 अंश 00' 00" के निर्माण है। उपरोक्त भूमि में आवासीय भवन प्रा.स. अर्ज की निर्माण हेतु प्रमाणित कार्डों को उपलब्ध कराने पर स.स. लक्ष्मी देव, जिला पंचायत की ओर आवासीय भवन है।	अनपंच उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति प्राप्त 111	करी

ग्राम पंचायत लिम्हा

आवासीय भवन

पंचायत

लिम्हा

18-4-2018

ग्राम सभा कोरबी की बैठक दिनांक 17/04/2018
का कार्यवाही विवरण

प्रदर्श-“ब”

ग्राम: कोरबी
स्थान: एचएस अवन

दिनांक 17/04/2018

आज दिनांक 17/04/2018 को ग्राम कोरबी के सरपंच श्री/श्रीमती त्रिवेदुलारी अरकाम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 30 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:-

1. ग्राम कोरबी में आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु निरंक हे. वन भूमि एवं 0.03 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 0.03 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्रा वितरित किया गया है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्रा धारक का नाम	रकबा (हे.में)

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि निरंक हे. वन भूमि / 0.03 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.03 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सहस्र

पहिली

संलग्न:-ग्राम सभा का विवरण।

31
सचिव
ग्राम पंचायत कोरबी
(वि.सं. बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.))

सहस्र
सरपंच
ग्राम पंचायत कोरबी
(वि.सं. बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.))
सरपंच
सील

बैठक की कार्यवाही

सपथ
शिवदुलारी मरकम

ग्राम पंचायत कोरवी जनपद पं. विकास खण्ड बिल्हा तह.व जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

उपसपथ
वृजलाल मरकम

क्र.	विषय	बैठक की कार्यवाही	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचो का हस्ताक्षर
पंचो का नाम श्रवण सिंह जगत जग बाई मरकम राजेश्वरी मरकम शारदा बाई कोरम कोशिल्या बाई कोरम रामेश्वरी उईके अहिल्या बाई सोंगरे अनंदराम मराठी त्रिवेणी बाई कंवर शिवनारायण यादव	प्रस्ताव क्रमांक-46 बिलासपुर-कटहोला राष्ट्रीय राजमार्ग सी-111 (नया-130) चार लेन सड़क निर्माण हेतु प्रभावित राजस्व वन भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु।	आज दिनांक - 17-04-2018 को सचिव श्री शिवदुलारी मरकम के अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बिलासपुर-कटहोला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-111 (नया-130) में पेंड्रीड्रीह से पलामावाली तक चार लेन सड़क के निर्माण हेतु ग्राम-कोरवी पंचायत-1 से अधिग्रहित राजस्व वन भूमि 0.03 है। राजस्व वन भूमि अधिग्रहित की जानी है। उपरोक्त राजस्व वन भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहतगत सर्वे सामुदायिक स्तर के किसी प्रकार का पट्टा नहीं दिया गया है और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग के आवागमन में किसी प्रकार से कोई आपत्ति है।	प्रस्ताव सर्वे सम्मति से पारित हुआ	सिंह पारिल हुआ

सपथ
ग्राम पंचायत कोरवी
वि.सं बिल्हा, जि. बिलासपुर (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत कोरवी
वि.सं बिल्हा, जि. बिलासपुर (छ.ग.)